

389

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(55)नविवि/3/2002

जयपुर, दिनांक: 11 FEB 2016

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.10.2015 की निरन्तरता में यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि प्रीमियर संस्थानों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ज्डीपीआर व निविदेश प्रस्तावों की स्क्रीनिंग बाबत गाइड कमेटी की बैठक में सभी संयुक्त शासन सचिव (जिनसे संबंधित प्रकरण हों) उपस्थित रहेंगे, परन्तु बैठक बुलाने व कार्यवाही विवरण जारी करने का कार्य संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग द्वारा किया जावेगा।

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त पॉलिसी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समास्त)।
13. रक्षित फ़ाइल।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

(218)